न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा

मुकदमा नम्बर 46/2018

निर्णय दिनांक 16.5.2018

स्टेट जरिये तहसीलदार, नोखा

बनाम

हडमानराम पुत्र रूघाराम मेघवाल निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर

--------वादी

--------प्रतिवादी

उपस्थिति–

1. पैरोकार राज प्रार्थी की तरफ से
2. अप्रार्थी के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175,177 आरटीए</u>

यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में स्टेट जरिये तहसीलदार, नोखा ने पेश कर निवेदन किया कि रिपोर्ट पटवारी हल्का रोडा के अनुसार ग्राम रोडा में स्थित खसरा नम्बर 698 तादादी 4.33 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी के नाम खातेदारी कृषि भूमि है । जिसमें से प्रतिवादी ने तादादी 0.70 हैक्टयर भूमि बिना सक्षम स्वीकृति लिए व बिना कृषि भूमि का रूपान्तरण करवाये ईन्ट भट्टा निर्माण किया गया है जो अवैध है । प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध रूप से ईन्ट भट्टा बनाये जाने के कारण कृषि भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है इस प्रकार प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत वाद प्रस्तुत किया जा रहा है । प्रतिवादी द्वारा खसरा नम्बर 698 तादादी 4.33 में से 0.70 हैक्टयर भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति व बिना कृषि भूमि का रूपान्तरण करवाये अवैध ईन्ट भट्टे के निर्माण को हटाने व नियमानुसार रूपान्तरण करवाने हेतु निर्देशित करने के उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा निर्माण नहीं हटाया है व ना ही भूमि रूपान्तरण करवाई है । प्रतिवादी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति लिए व बिना कृषि भूमि का रूपान्तरण करवाये ईन्ट भट्टा का निर्माण करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विपरीत होने के कारण शून्य है । जिसके द्वारा प्रतिवादी को कोई हक हासिल नहीं होते हुए भी कृषि भूमि का नेचर परिवर्तन किया है । इसलिए राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 की धारा 175, 177 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर काश्तकारी अधिकार रिज्यूम किये जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावे ।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर के स्थित खेत खसरा नम्बर 698 तादादी 4.33 में से रकबा 0.70 हैक्टयर अर्थात 7000 वर्गमीटर भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर काश्तकारी रिज्यूम करते हुये कब्जा बहक सरकार लिया जावें ।

वादी के उक्त वाद पत्र पर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवार्दी का नोटिस जरिये चस्पानगी से तामिल होने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस इकतरफा सुनी गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोखा

Scanned by CamScanner

पैरोकार राज ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि पर बिना किसी सक्षम अनुमति के ईंट भट्टा स्थापित कर लिया है । अतः उक्त रकबा राज्य सरकार के पक्ष में रिज्यूम करने के आदेश देते हुए खातेदार की टीनेन्सी समाप्त की जावें ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रतिवादी द्वारा खातेदारी भूमि में बिना रूपान्तरण करवाये ईंट भट्टा लगाया जाना प्रमाणित होता है । अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 698 तादादी 4.33 में से 0.70 हैक्टयर अर्थात 7000 वर्गमीटर वाके रोही रोडा तहसील नोखा जिसमें प्रतिवादी हडमानराम पुत्र रूघाराम मेघवाल निवासी रोडा द्वारा ईन्ट भट्टे का निर्माण कर रखा है । उस भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त कर उक्त भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है । तहसीलदार, नोखा प्रतिवादी को उक्त भूमि से बेदखल कर रकबा राज लेकर राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अंकन करें । डिक्री जारी हों ।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों । निर्णय आज दिनांक 16.5.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कन्हैयालाल सोनगरा)
उपखण्ड अधिकारी,
नोखा